बिहार सरकार
समाहरणालय, नवादा
नवादा – 805110
(जिला स्थापना शाखा)

दूरभाष 06324–212253 (कार्या0)
06324–212240 (आवास)
06324–212904 (फैक्स)
Email:dm-nawadah.bih@nic.in

–: आदेश :–

मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक 910, दिनांक 02.07.2018 में निहित निदेश के आलोक में विभिन्न कार्यालयों से कार्यपालक सहायकों के नियोजन हेतु प्राप्त अधियाचना के आधार पर इस कार्यालय द्वारा विज्ञापन प्रकाशित की गयी। प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में विधिवत कार्रवाई करते हुए जिला चयन समिति की बैठक में मेधा सूची का निर्माण किया गया। प्रस्तावित आदर्श आरक्षण रोस्टर के आधार पर एवं अनुमोदित मेधा सूची, 2019 के वरीयता क्रम के अनुसार संलग्न सूची में अंकित 31 (इकतीस) अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर 03 (तीन) माह के लिए सशर्त्त कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजन किया जाता है। नियोजित अभ्यर्थियों की सेवा उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय को पदस्थापन हेतु प्रदान की जाती है। तत्संबंधी पदस्थापन कार्यालय के नाम की सूची इसके साथ संलग्न है। संलग्न सूची में अंकित पदस्थापन कार्यालय में अभ्यर्थी दिनांक 15.02.2020 तक अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। उक्त निर्धारित तिथि के बाद योगदान करने पर उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. संलग्न सूची में अंकित चयनित अभ्यर्थी को निदेश दिया जाता है कि संबंधित नियोजित/पदस्थापन कार्यालय में निम्नांकित हार्डवेयर का अधिष्ठापन योगदान के तीन दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे।

1. एक डेस्कटॉप 2. एक प्रिन्टर (**Black & White**) 3. एक यू0पी0एस0 4. इन्टरनेट कनेक्शन

3. यह नियोजन मात्र 03 (तीन) माह के लिए होगा।

4. 3 (तीन) माह के नियोजन अवधि में इस अंतरिम व्यवस्था अन्तर्गत नियोजित सभी कार्यपालक सहायकों को बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। दक्षता परीक्षा का स्तर बेल्ट्रॉन के डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (**DEO**) हेतु निर्धारित मापदंड के अनुरूप होगा।

5. दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन आवश्यकतानुसार 3 (तीन) माह के उपरान्त जारी रखा जा सकता है। अनुत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा। योगदान के समय इस आशय का शपथ पत्र इन नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

6. नियोजन की कार्रवाई बेल्ट्रॉन द्वारा उसकी सूचीकरण प्रक्रिया सम्पन्न होने तक की जा सकेगी। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार की कोई भी नियोजन जिला स्तरीय पैनल से नहीं किया जायेगा।

7. नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने के साथ–साथ इन सभी नियोजित कार्यपालक सहायकों का दक्षता परीक्षा आयोजित करने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन निबंधन हेतु बेल्ट्रॉन से अनुरोध किया जायेगा तथा उक्त क्रम में सभी आवश्यक कार्रवाई ससमय पूर्ण की जायेगी।

8. बेल्ट्रॉन द्वारा निर्धारित शुल्क 1000/–रूपये प्रति अभ्यर्थी का भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी/संबंधित विभाग/संबंधित कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

9. नियोजित कार्यपालक सहायकों का मानदेय का भुगतान अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक 488, दिनांक 07.03.2019 में निहित निदेश के आलोक में संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

10. पदस्थापन कार्यालय में योगदान के समय अलग से दो फोटोग्राफ राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित जमा करना होगा तथा पदस्थापन कार्यालय द्वारा इसे कार्यालय में संधारण/सुरक्षित रखा जायेगा।

11. उक्त चयनित अभ्यर्थियों को योगदान के समय एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमे उनके विरूद्ध अपराधिक मामला दर्ज नहीं हो एवं दहेज नहीं लेने देने संबंधी उल्लेख हो।

12. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र योगदान के समय देना होगा।

13. नियोजित कार्यपालक सहायकों को अपने पदस्थापन मुख्यालय में आवासित रहना होगा।

14. नियोजित कार्यपालक सहायकों को किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इन्हें कभी भी बिना सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।

15. नियोजित कार्यपालक सहायक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दिए गये तथ्य में सूचना गलत पाये जाने पर नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

16. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और अनुमान्य किसी भी सरकारी सुविधा के हकदार नहीं होगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितिकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा और ना ही नियमितीकरण का दावा कर सकेगे। तत्संबंधी एकरारनामा पदस्थापन कार्यालय में योगदान के समय सभी चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित किया जायेगा।

17. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक 2341, दिनांक 23.12.2019 में अंकित शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

18. इस नियोजन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना द्वारा किसी प्रकार का प्रतिकूल आदेश प्राप्त होने की स्थिति में इस नियोजन पर उक्त आदेश प्रभावी होगा।

19. इन्हें बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक 436, दिनांक 26.02.2019 में निहित प्रावधानानुसार अकास्मिक अवकाश/अर्जित अवकाश/मातृत्व/पितृत्व अवकाश एवं अवैतनिक अवकाश देय होगा।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
नवादा।

ज्ञापांक 01/मु0 /स्था0 दिनांक 29 / 01 /2020 ई0।

प्रतिलिपि :– संलग्न सूची में अंकित संबंधित चयनित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को पदस्थापन सूची के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त नियोजन–पत्र की सूचना नवादा जिला के बेबसाईट पर अपलोड करना तथा ईमेल से संबंधित अभ्यर्थियों को भेजना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय कोषागार पदाधिकारी, नवादा/रजौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, बेल्ट्रॉन, बिहार, पटना को संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को निबंधन करते हुए सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक्र सुधार मिशन सोसायटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

29/1/2020
जिला पदाधिकारी,
नवादा।